डिजिटल सोशल एक्शन लैब और सामाजिक संरक्षण सेवाएं

परिप्रेक्ष्य

- समाज के वंचित समूहों की स्थिति को बेहतर करने और उनके गरिमामय जीवन का अधिकार संरक्षित करने के लिये सरकार सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम एवं योजनायें क्रियान्वित करती है।
- ऐसे में आवश्यक है कि सामाजिक-नागरिक संस्थायें, स्थानीय निकाय, सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी विभाग मिल कर ऐसे प्रयास करें, जिनसे हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक संरक्षण योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध और सम्मान के साथ लाभ मिल सके।
- इसी नजरिये के अन्तर्गत सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में डिजिटल माध्यमों और व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- हमारी पहल है कि सभी पात्र व्यक्तियों को सामाजिक संरक्षण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये ई-वालेंटियर्स और डिजीटल सोशल एक्शन लैब के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई जाये। इसी पहल के तहत सभी समूहों और व्यक्तियों तक सामाजिक संरक्षण योजनाओं से सम्बंधित सही जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से यह सूचना पत्रक बनाया गया है।

पत्रक क्यों?

इस पत्रक में 7 सामाजिक संरक्षण सेवाओं के बारे में विस्तारित जानकारी दी गई है, जैसे कि – योजना का उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ की जानकारी, आवेदन की प्रक्रिया और लाभ न मिलने पर शिकायत निवारण व्यवस्था।

इन जानकारियों का उपयोग कर सामाजिक संरक्षण योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।

पोषण और खाद्य सुरक्षा –

- समेकित बाल विकास योजना (आंगनवाड़ी सेवाएं)
- मध्यान्ह भोजन योजना
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सामाजिक-आर्थिक सहायता –

- लाड़ली लक्ष्मी योजना
- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

आय अर्जन –

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

समेकित बाल विकास परियोजना (आंगनवाड़ी सेवाएं)

योजना का उद्देश्य

कुपोषण, मातृ मृत्यु, बाल एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा बच्चों का समुचित विकास करना। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, धात्री एवं गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संदर्भ सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देना।

पात्रता

- आंगनवाड़ी में दर्ज 06 माह से 06 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
- आंगनवाड़ी में पंजीकृत समस्त गर्भवती एवं धात्री महिलाएं।
- आंगनवाड़ी में दर्ज 11 से 14 वर्ष की शालात्यागी किशोरी बालिकाएं।

योजना से लाभ

क्या लाभ मिलेगा ?	किसे और कितना मिलेगा ?
पूरक पोषण आहार	प्रत्येक हितग्राही को वर्ष में कम से कम तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाना। इसके तहत निम्न प्रावधान हैं – • गर्भवती /धात्री महिलाओं को – गेहूं , सोया बर्फी, आटा, बेसन लड्डू प्रीमिक्स, खिचड़ी। • 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे – हलुआ प्रीमिक्स, बाल आहार, खिचड़ी। • 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे – गरम पका हुआ भोजन।
स्वास्थ्य जांच	आंगनवाड़ी केंद्र में मंगलवार या शुक्रवार के दिन ए.एन.एम. तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना तथा जांच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह देना।
संदर्भ सेवाएं	स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना।
टीकाकरण	आंगनवाड़ी केंद्र में मंगलवार/शुक्रवार के दिन ए.एन.एम. द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाना।
पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. द्वारा गृह भेंट के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी व सलाह देना।
स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा	बच्चों के मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाना।

सुझाव/शिकायत के लिए

ऑफलाइन	ऑनलाइन
• सहयोगिनी मातृ समिति को लिखित में आवेदन देकर। • बाल विकास परियोजना अधिकारी को लिखित में आवेदन देकर। • जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला शिकायत निवारण अधिकारी (जिला कलेक्टर) को लिखित में आवेदन देकर। • संभागीय संयुक्त संचालक (महिला एवं बाल विकास विभाग) को लिखित में आवेदन देकर।	• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर हम शिकायत कर सकते हैं। • बाल विकास परियोजना एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को ई-मेल के द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

योजना का उद्देश्य

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार एवं उनके अच्छे भविष्य के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई।

पात्रता

जिनके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और आयकरदाता नहीं हैं।

द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया है।

आवश्यक दस्तावेज

- माता-पिता का आधार कार्ड।
- माता-पिता का पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- बालिका जन्म प्रमाण पत्र।
- बैंक अकाउंट पासबुक।
- राशन कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक की)

योजना से लाभ

- बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रुपए, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए, कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रुपए और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6000 रुपए ई-पेमेंट के माध्यम से दिए जाएंगे।
- अंतिम भुगतान 1 लाख रुपए का होगा। यह बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर और कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर किया जाएगा। शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

आवेदन की प्रक्रिया

- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास आवेदन जमा किया जाना।
- लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन किया जाना।
- प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इसके बाद प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।

सुझाव/शिकायत के लिए

ऑफलाइन	ऑनलाइन
• बाल विकास परियोजना अधिकारी को लिखित में आवेदन देकर। • जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला शिकायत निवारण अधिकारी (जिला कलेक्टर) को लिखित में आवेदन देकर। • संभागीय संयुक्त संचालक (महिला एवं बाल विकास विभाग) को लिखित में आवेदन देकर।	• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर हम शिकायत कर सकते हैं। • कृपया प्राप्त शिकायत नंबर सुरक्षित रखें, ताकि आगे फॉलोअप करने के लिए आसानी हो। • बाल विकास परियोजना एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को ई-मेल के द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

योजना का उद्देश्य

- गर्भवती कामकाजी महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना।
- गर्भवती महिलाओं के उचित आराम व पोषण को सुनिश्चित करना है।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना।

पात्रता

इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत रुपये 5000 की राशि प्रदान की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज

- लाभार्थी महिला व उसके पति का आधार नंबर।
- लाभार्थी महिला/परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर।
- लाभार्थी महिला का बैंक खाता/डाकघर खाता, पासबुक।
- एमसीपी कार्ड (मां और बाल संरक्षण) में दर्ज एलएमपी (अंतिम माहवारी) की तिथि।

योजना से लाभ

इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। योजना की लाभ राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार निम्नलिखित किस्तों में राशि का भुगतान करती है।

- **पहली किस्त** – 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय।
- **दूसरी किस्त** – 2000 रुपए, जब लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच करा लेते हैं।
- **तीसरी किस्त** – 2000 रुपए, नवजात शिशु के जन्मोपरांत पंजीयन करने पर और शिशु को बीसीजी, ओपीवी, एचबीवी, पेन्टावेलेन्ट 1,2,3 (BCG, OPV, HBV, Pentavalent 1,2,3) का निर्धारित समय सीमा में टीकाकरण कराने पर।

महत्वपूर्ण बिंदु – प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना निम्नलिखित श्रेणी की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी।

1. जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में हैं।
2. जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ की प्राप्तकर्ता हैं।

सुझाव/शिकायत के लिए

ऑफलाइन	ऑनलाइन
• सहयोगिनी मातृ समिति को लिखित में आवेदन देकर। • बाल विकास परियोजना अधिकारी को लिखित में आवेदन देकर। • जिला नोडल अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास) या जिला शिकायत निवारण अधिकारी (जिला कलेक्टर) को लिखित में आवेदन देकर।	• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर हम शिकायत कर सकते हैं। • बाल विकास परियोजना एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को ई-मेल के द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं।

मध्यान्ह भोजन योजना

योजना का उद्देश्य

बच्चों की शिक्षा के साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य है –

- वर्ग 1 से 8 (6–14 वर्ष) के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना।
- लाभ से वंचित तबके के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना।
- गर्मी की छुट्टियों के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सम्बन्धी सहायता प्रदान करना।

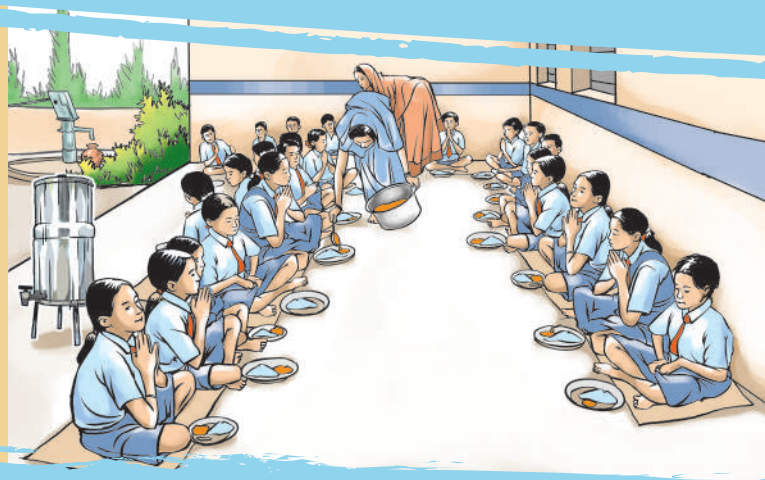

पात्रता

शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाओं, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों एवं ऐसे मदरसे (जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय सहायता दी जा रही है) में दर्ज छात्र–छात्रायें इस योजना के पात्र हैं।

योजना से लाभ

भोजन का लाभ शासकीय एवं शासन द्वारा सहायता प्राप्त समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दर्ज बच्चों को दिया जाता है।

सुझाव/शिकायत के लिए

ऑफलाइन	ऑनलाइन
• मध्यान्ह भोजन में अनियमितता की शिकायत स्थानीय स्तर पर शाला प्रबंधन समिति या पंचायत में करें। • विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। • जिला स्तर पर भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला शिकायत निवारण अधिकारी (जिला कलेक्टर) को लिखित में आवेदन कर सकते हैं।	• यदि स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान न हो सके तो आप टोल फ्री नंबर – 1800–180–8007 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। • सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

योजना का उद्देश्य

लक्षित वितरण प्रणाली अंतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों को पात्रतानुसार सस्ते दर पर अनाज सामग्री उपलब्ध कराना जिससे वंचित पिछड़े तबके के लोगों को 2 वक्त का उचित भोजन प्राप्त हो सके।

पात्रता

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित 24 श्रेणियों में शामिल परिवार और अन्त्योदय श्रेणी के परिवार।

प्राथमिकता श्रेणी में शामिल परिवार – 1. समस्त बी.पी.एल. परिवार 2. वनाधिकार पट्टेधारी 3. समस्त भूमिहीन कोटवार 4. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार 5. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार 6. वर्ष 2013-14 प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक 7. समस्त ऐसे व्यक्ति जो म.प्र. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य 8. मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों में पंजीकृत परिवार/सदस्य 9. बंद पड़ी मिलों में नियोजित पूर्व श्रमिक 10. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 के परिचय पत्रधारी बीड़ी श्रमिक 11. ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन, खेतिहर पंजीकृत मजदूर एवं आश्रित परिवार के सदस्य 12. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के साइकिल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं आश्रित परिवार के सदस्य 13. घरेलु कामकाजी महिलाएं 14. फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर) 15. नगरीय निकायों के पंजीकृत केश शिल्पी 16. पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक 17. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं आश्रित परिवार के सदस्य 18. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा वृद्धाश्रम में नि:शुल्क निवासरत वृद्धाश्रम 19. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति 20. रेलवे में पंजीकृत कुली 21. मंडियों में अनुज्ञापितधारी हम्माल एवं तुलावटी 22. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी 23. एच.आय.व्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा) से लाभ लेना चाहता हो 24. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों से छूटे हों।

अन्त्योदय श्रेणी में शामिल परिवार – मध्यप्रदेश शासन द्वारा वंचित और गरीबी के मानकों पर चयनित परिवार।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड / वोटर आईडी / राशन कार्ड / पात्रता श्रेणी का प्रमाण पत्र/ दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि है तो)

पात्रता पर्ची बनाने हेतु प्रक्रिया

- आवश्यक दस्तावेज के साथ पंचायत के सचिव को आवेदन करना होगा।
- सचिव के द्वारा तहसील में आवेदन जमा किया जाएगा, आवेदन के परीक्षण के बाद पात्रता पर्ची जारी होगी।

योजना से लाभ

अन्त्योदय श्रेणी के परिवार – प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं, चावल एवं मोटे अनाज) 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से।

प्राथमिकता श्रेणी के परिवार – प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम के मान से खाद्यान्न (गेहूं, चावल एवं मोटे अनाज) 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से।

सुझाव/शिकायत के लिए

ऑफलाइन	ऑनलाइन
राशन दुकान नियमित न खुलना, राशन पात्रता अनुसार न दिये जाने और अनियमितता जैसे मामलों में जिला शिकायत निवारण अधिकारी (जिला कलेक्टर) या राज्य शासन की पूर्वानुमति से कलेक्टर द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर को लिखित में आवेदन देकर शिकायत की जा सकती है।	राशन दुकान नियमित न खुलना, राशन पात्रता अनुसार ना दिया जाना, अनियमितता जैसे मामलों में मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर 181 या ई-मेल wsd.mp@nic.in पर शिकायत की जा सकती है।

मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा योजना

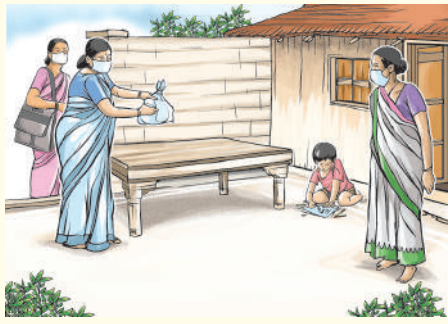

योजना का उद्देश्य

कोरोना महामारी के दौरान वे बच्चे जिनके माता–पिता या अभिभावकों की कोविड–19 संक्रमण के कारण मृत्यु हुई हो, उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता करना, उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा में सहायता करना।

पात्रता

- प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का निवासी हो।
- परिवार को मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो।
- बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों, जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।
- ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो और जिनके –
  - माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या
  - माता–पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो।
  - माता–पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड–19 से मृत्यु हुई है।
  - 'कोविड–19 से मृत्यु' का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- हितग्राही बच्चों का जन्म/आयु प्रमाण पत्र।
- हितग्राही बच्चों के बैंक खाते की सम्बंधित जानकारी एवं रद्द किया हुआ चेक/पासबुक की प्रति जिसमें बैंक खाते का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो।
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 केबी (KB) से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ (JPG/JPEG/PNG/PDF) फाइल अपलोड की जा सकती है।
- संरक्षक के पहचान पत्र की प्रति –
  - ड्राइविंग लाइसेंस
  - पैन कार्ड
  - राशन कार्ड
  - वोटर आईडी

योजना से लाभ

आर्थिक सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही को रुपये 5000 की बाल सहायता राशि बैंक खाते में जमा की जायेगी। यदि बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त राशि उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की जायेगी। सहायता राशि बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक देय होगी।

राशन सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन प्रदान किया जायेगा।

शिक्षा सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार नि:शुल्क शिक्षा (पहली कक्षा से स्नातक तक) उपलब्ध कराई जायेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना

योजना का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के वयस्क सदस्यों, जो अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक हों, उन्हें एक वर्ष में 100 दिन का श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना।

पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	योजना से लाभ
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य।	जॉब कार्ड।	प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

- जॉब कार्ड धारक द्वारा रोजगार प्राप्ति हेतु लिखित आवेदन सादे कागज पर पंचायत सचिव को देना होगा।
- आवेदन करने के 15 दिवस के अंदर पंचायत द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
- आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।
- काम/श्रम करने के 15 दिन में मजदूरी का भुगतान न होने पर व्यक्ति देरी से मजदूरी भुगतान के मुआवजे का हकदार होगा।

सुझाव/शिकायत के लिए

ऑफलाइन	ऑनलाइन
• पंचायत स्तर पर आवेदक के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाती या आवेदक को 15 दिवस में कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक विकासखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) को आवेदन कर सकते हैं। • विकासखंड स्तर पर आवेदक के आवेदन पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आवेदक जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) को आवेदन कर सकते हैं।	आवेदक हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत कर सकते हैं।

विकास संवाद

ए–5, आयकर कॉलोनी, जी–3, गुलमोहर,
(शील पब्लिक स्कूल के पीछे)
बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश–462 039
फोन – 0755–4252789
E-mail : vikassamvad@gmail.com

VIKAS SAMVAD

डिजिटल सोशल एक्शन लैब

बृजपुर और देवेन्द्र नगर
जिला/जनपद पन्ना, मध्य प्रदेश
मोबाइल नम्बर – 7879858092

(पत्रक में समस्त जानकारियां संदर्भित शासकीय वेबसाईट और आधिकारिक स्रोतों से संकलित की गई हैं)
यह पत्रक यूनिसेफ के सहयोग से संचालित कार्यक्रम डिजीटल सोशल एक्शन लैब और सामाजिक संरक्षण सेवाएं के अन्तर्गत विकास संवाद समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है।